अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2001

का. आ. 268.(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन) नियम, 2000 का प्रारूप पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1163 (अ), तारीख 26 दिसम्बर, 2000 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 27 दिसम्बर, 2000 में ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना अन्तर्विष्ट थीं, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और भारत के उस राजपत्र की प्रतियां जनता को 1 जनवरी, 2001 को उपलब्ध करा दी गईं थीं ;

और जनता से उक्त प्रारूप की बाबत कोई भी आक्षेप या सुझाव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** : — इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "पशु" से पशुधन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित पशु भी हैं, अर्थात् :—

(i) ढोर के अन्तर्गत गाय, सांड और बैल, भैंसा सांड और भैंसे, गायें, भैंसे, मिथुन,याक और बछड़े हैं;

(ii) आश्व के अन्तर्गत घोड़े, टट्टू, खच्चर और गधे हैं;

(iii) घोड़े के अन्तर्गत सम्पूर्ण (बीजाश्व), गोल्डिंग्स, बच्ची घोड़ियां, बछेड़े और बछेड़ियां हैं ;

(iv) बकरी के अन्तर्गत दो वर्ष और उससे अधिक आयु का वयस्क नर या मादा बकरी है ;

(v) रक के अन्तर्गत नर बकरी (बकरा) है ;

(vi) मनमुन— एक वर्ष से कम आयु की अल्प वयस्क बकरी ;

(vii) नान्नी मादा बकरी ;

(viii) भेड़ के अन्तर्गत दो वर्ष और उससे अधिक आयु का वयस्क नर या मादा भेड़ है,

(ix) ईब-मादा भेढ़ ;

(x) मैमना—एक वर्ष से कम आयु की अल्प वयस्क भेड़ ;

(xi) रैम-नर भेड़

(xii) खस्सी मेंढ़ा के अन्तर्गत वह मेमना भी है जिसे मैथुनिक परिपक्वता पर पहुंचने से पूर्व बधिया कर दिया गया है ;

(xiii) सूअर के अन्तर्गत एक वर्ष या उससे अधिक की आयु का वयस्क सूअर या सूअरी है;

(xiv) घेंटा के अन्तर्गत एक वर्ष से कम आयु का अल्प वयस्क सूअर है;

(ख) "पशु-चिकित्सक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत है ;

(ग) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. **नियमों का लागू होना**—वे नियम पशुओं के पैदल परिवहन को उस समय लागू होंगे जब ऐसे परिवहन के आरम्भ के गांव या शहर या नगर की सीमा के अन्तिम लक्ष्य की दूरी पांच किलोमीटर या पांच किलोमीटर से अधिक है।

4. **पैदल परिवहनित किए जाने वाले पशुओं के स्वास्थ्य की दशा**—(1) पैदल परिवहनित किए जाने वाला पशु स्वस्थ और ऐसे परिवहन के लिए ठीक हालत में होगा :

(2) परिवहनित किए जाने वाले प्रत्येक पशु की बाबत पशु चिकित्सक का इस आशय का प्रमाणपत्र उस पशु के साथ होगा कि ऐसा पशु ऐसे परिवहन के लिए सही हालत में है और किसी संक्रामक, सांसर्गिक या परजीवी रोग से पीड़ित नहीं है और उसे संक्रामक, सांसर्गिक या परजीवी रोगों का टीका लगा दिया गया है।

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रमाणपत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में होगा।

(5) **कतिपय पशुओं का पैदल परिवहन नहीं किया जाएगा**—ऐसे नवजात पशुओं का जिनकी नाभि पूरी तरह सूखी नहीं है, रोगी, अन्धे, कृश, लंगड़े थके मांदे पशुओं या ऐसे पशुओं का जिन्होंने पूर्ववर्ती बहत्तर घंटों के दौरान जन्म दिया है या परिवहन के दौरान जन्म देने की सम्भावना है, पैदल परिवहन नहीं किया जाएगा।

(6) **ऑन-फार्म सामाजिक समूह में परिवहन**—पशुओं का उनके ऑन फार्म सामाजिक समूहों में ही (यात्रा से कम से कम एक सप्ताह पूर्व स्थापित) परिवहन किया जाएगा।

(7) **पैदल परिवहनित किए जाने वाले पशुओं के साथ प्राथमिक चिकित्सा उपस्कर ले जाना**—पशुओं का स्वामी ऐसे पशुओं के साथ, जब उन्हें पैदल परिवहनित किया जा रहा हो, पशु चिकित्सा के प्राथमिक चिकित्सा उपस्कर उपलब्ध कराएगा।

(8) **परिवहन के दौरान प्रमाणपत्र का ले जाया जाना**—उस दशा में जिसमें पशुओं का पैदल परिवहन करने वाला व्यक्ति उन पशुओं का स्वामी नहीं है, तब ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवहन के दौरान दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र ले जाएगा ।

(9) **पशुओं के परिवहन के दौरान पानी की व्यवस्था**—पशुओं का स्वामी ऐसे पशुओं के पैदल परिवहन के दौरान रास्ते में पानी पिलाने की व्यवस्था करेगा।

(10) **पशुओं के परिवहन के दौरान भोजन और चारे की व्यवस्था**—पैदल परिवहन के दौरान पशुओं के लिए पर्याप्त भोजन और चारे की पर्याप्त आरक्षिति के साथ पर्याप्त भोजन और चारे की व्यवस्था उनके स्वामियों द्वारा की जाएगी।

(11) **पशुओं के पैदल परिवहन के दौरान चाबुक आदि के उपयोग का प्रतिषेध**—(i) कोई भी व्यक्ति पशुओं को चलने या उनकी चाल में तेजी लाने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किसी चाबुक या लाठी का उपयोग नहीं करेगा और न कोई व्यक्ति उनके पैदल परिवहन के दौरान इस प्रयोजन के लिए पशु के शरीर के किसी भाग में मिर्चों या किसी अन्य पदार्थ का उपयोजन करेगा।

(2) यदि पैदल परिवहन के दौरान किसी पशु को बांधने की आवश्यकता हो तो वह ऐसी रस्सी से बांधा जाएगा जिस पर चारों तरफ से कपड़े जैसी उपयुक्त गद्दीदार वस्तु लिपटी हुई हो । ऐसे पशु को, उसकी गर्दन के सिवाय, उसकी नाक या सभी टांगों या शरीर के किसी अन्य भाग पर नहीं बांधा जाएगा।

(3) यदि एक से अधिक पशुओं को पैदल परिवहन के दौरान एक ही रस्सी से एक साथ बांधा जाए तो ऐसे किन्हीं दो पशुओं के बीच कम से कम दो फुट का अन्तर होगा और इस प्रकार बांधें गए ऐसे पशुओं की एक जैसी शारीरिक हालत और ताकत होनी चाहिए तथा ऐसे दो से अधिक पशुओं को एकल रस्सी द्वारा एक दूसरे के साथ नहीं बांधा जाएगा।

12. **पशुओं के पैदल ले जाए जाने पर कतिपय प्रतिषेध**— (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु को सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के पश्चात पैदल परिवहनित नहीं करेगा।

(2) नीचे दी गई सारणी में ऐसे पशु के लिए विनिर्दिष्ट दूरी, समय, विश्राम अंतराल और तापमान के परे किसी पशु को पैदल परिवहनित नहीं करेगा :

सारणी

जाति (जानवर)	तय की गई अधिकतम दूरी/दिन/घंटा	चले दिनों/घंटों की अधिकतम संख्या	विश्राम की अवधि (अंतराल)	तापमान की रेंज अधिकतम न्यूनतम
ढोर (गाय)	30 कि. मी. प्रतिदिन 4 कि. मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक 2 घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 4 घंटे के बाद भोजन के लिए	12 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक
भैंस	25 कि. मी. प्रतिदिन 3 कि. मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक 2 घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 4 घंटे के बाद भोजन के लिए	12 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक
गाय और भैंस के बछड़े	16 कि. मी. प्रतिदिन 2.5 कि. मी. प्रति घंटा	6 घंटे	प्रत्येक डेढ़ घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 3 घंटे के बाद भोजन के लिए	15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक
घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधे	45 कि. मी. प्रतिदिन 6 कि. मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक 3 घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 6 घंटे के बाद भोजन के लिए	12 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक
अल्प वयस्क (बछेड़ा)	25 कि. मी. प्रतिदिन 4 कि. मी. प्रति घंटा	6 घंटे	प्रत्येक 2 घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 4 घंटे के बाद भोजन के लिए	15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक
बकरियां और भेड़	30 कि. मी. प्रतिदिन 4 कि. मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक 2 घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 4 घंटे के बाद भोजन के लिए	12 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक
मुनमुन और मेमने	16 कि. मी. प्रतिदिन 2.5 कि. मी. प्रति घंटा	6 घंटे	प्रत्येक डेढ़ घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 3 घंटे के बाद भोजन के लिए	15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक
सूअर	15 कि. मी. प्रतिदिन 2 कि. मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक डेढ़ घंटे के ाद पीने के लिए और प्रत्येक 3 घंटे के बाद भोजन के लिए	12 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक
घेंटे	10 कि. मी. प्रतिदिन 1.5 कि. मी. प्रति घंटा	6 घंटे	प्रत्येक डेढ़ घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 3 घंटे के बाद भोजन के लिए	15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक

टिप्पण : पानी पिलाने के बाद प्रत्येक पशु का पैदल परिवहन आरंभ करने से पहले 20 मिनट का विश्राम दिया जाएगा और चारा खिलाने के मामले में पैदल परिवहन आरंभ करने से पहले 1 घंटे का विश्राम दिया जाएगा।

(3) किसी भी पशु को भारी बरसात, तूफान या भीषण सूखे या उमस की स्थिति में पैदल नहीं ले जाया जाएगा।

13. **कतिपय दशाओं में पशुओं को बिना नाल के परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी**—उन पशुओं का जिनके खुरों में नाल नहीं लगावा दिए गए हैं, (भारवाही पशुओं या लघु पशुओं की दशा में) कठोर सीमेंट, डामर लेपित या पक्की सड़कों, प्रपाती ढालों या पहाड़ी और चट्टानी भूभागों पर, चाहे मौसम की कोई भी दशा हो (गर्मी या सर्दी) पैदल परिवहन नहीं किया जाएगा।

14. **स्वामी से पशु को निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले चलने की अपेक्षा करने की पुलिस की शक्ति**—(1) यदि सिपाही से ऊपर की पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा भारत के पशु कल्याण बोर्ड द्वारा, इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के पास इस बारे में विश्वास करने का कारण है कि किसी पशु के संबंध में इन नियमों के उल्लंघन में कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है तो वह ऐसे पशु के स्वामी या भारसाधक किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस पशु को नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास ले चले।

(2) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट पशुओं का स्वामी या उनका भारसाधक व्यक्ति उस उपनियम के अधीन पुलिस अधिकारी की मांगों का पालन करने से इंकार करता है तो ऐसे पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वे उस पशु को नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास ले जाएं।

पहली अनुसूची

पशुओं के परिवहन के लिए योग्यता प्रमाणपत्र का प्ररूप

[नियम 4(3) देखिए]

यह प्रमाणपत्र किसी अर्हताप्राप्त पशु चिकित्सक द्वारा भरा जाना चाहिए और उस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं।

जांच की तारीख और समय

जाति

ट्रकों/रेल के डिब्बों की संख्या

ढोरों की संख्या

लिंग आयु

पहचान

नस्ल (उसके लक्षण बताते हुए)—वह क्षेत्र जहां वह पाया जाता है तथा साधारण प्रतिरोध शक्ति और ताप की सहनशक्ति से संबंधित उसकी स्थिति।

पशु के व्यष्टिक लक्षण :

शरीर का रंग,

ऊंचाई,

शरीर का वजन (लगभग)

पशु की लम्बाई

हांकना (श्रोणिय हड्डियों के बीच नापा गया)

आंखों का रंग,

सींगों की बनावट,

साधारण दशा (जैसे—मांसल, हड्डियों का प्रक्षेपण)

स्वास्थ्य की स्थिति

पशु का इतिहास, भोजन की स्थिति क्या क्षुधा अभाव/अतिसार के चिन्ह हैं अथवा नहीं

1. शरीर का तापमान अभिलिखित करना
2. कोया के उभार या बहिसरण अन्धता, आंखों की पुतली की फुल्ली के लिए आंखों की परीक्षा करें और विनिर्दिष्ट करें।
3. चमड़ी की दशा, (निर्जलीकरण, क्षतियों, क्षुधा अभाव के चिन्हों सहित—चमड़ी पर मस्सों की मौजूदगी के लिए जांच करें)
4. **कान**

 कानों की परीक्षा करें—(सुनने पर पशु के शरीर की प्रतिक्रिया के लिए जांच करें, किसी संक्रमण, सूजन या स्राव के लिए जांच करें)

 (क) कान के मल, रक्त या किसी तरल की अधिकता की जांच करें ।
5. सूजन के लिए उप जंभिका की अवधि की परीक्षा करें (किसी असामान्यता या दर्द के लिए)
6. मादा पशुओं की गर्भ की स्थिति की जांच करें।

 यदि हां तो कौन-सी स्टेज है—पहली, दूसरी या तीसरी
7. थन और स्तनाग्रों की परीक्षा करें और विनिर्दिष्ट करें—

(क) पुट्ठों का संबंधित आकार

(ख) सूजन/अपदाय/तन्तुमय के चिन्हों की जांच करें

(ग) व्यष्टिक पुट्ठों की स्पर्श परीक्षा की अवधि विनिर्दिष्ट करें

(घ) स्तनाग्रों के ट्यूमर या स्तनाग्रों में तन्तुओं के लिए उनकी नलिकाओं की जांच करें और विनिर्दिष्ट करें।

8. (क) यदि मादा हो तो,

बल्ब की परीक्षा पर योनीय निस्तरण के चिन्ह के लिए जांच करें और विनिर्दिष्ट करें।

(ख) नर में, जांच करें—

अण्डकोश—आकार, मोनोगैस्ट्रिक पशुओं के लिए कोई संकेत।

असामान्यताएं

लिंगि—क्षति, खरोंच या आवरण, स्खलन अभिलिखित किए जाएं।

9. उदरीय पीड़ा के चिन्हों के लिए (पशु की चाल या मुद्रा की जांच करें, उदरीय कुलाव के चिन्ह के लिए जांच करें, आमाशय की परीक्षा के लिए (भरा हुआ, खाली) और अफरा। रक्त के लिए वायु कोख की जांच करें।

10. पाचन तंत्र

मुख की परीक्षा करें और विनिर्दिष्ट करें—

1. दन्तोद्भेद का व्यौरा

2. दंत क्षति के साक्ष्य, टूटे हुए या घिसे पिटे कृन्तकों के साक्ष्य को विनिर्दिष्ट करें।

11. श्वसन तंत्र

क. श्वसन की दर अभिलिखित करें

ख. श्रवण ओर कष्ट श्वास, श्वास लेने में तकलीफ के संकेतों को विनिर्दिष्ट करें।

12. गायों में उनके सीगों की जांच करें ओर विनिर्दिष्ट करें—

(क) सीगों की बनावट

(ख) सीगों के बलयों की संख्या

(ग) उनकी दिशाओं मे कोई अन्तर

(घ) दोनों सीगों की बनावट

13. अस्थिभंग के लिए पसलियों की परीक्षा करें और विनिर्दिष्ट करें ।

14. वैन्ट्रल या अमबलीकल हर्निया की मौजूदगी के लिए उदर दीवारों की परीक्षा करें और विनिर्दिष्ट करें।

15. हड्डियों के बढ़ने या स्नोवायल डिस्टैन्शन्स के लिए अंगों और जोड़ों की परीक्षा करें तथा लगड़ेपन के चिन्हों की जांच करें और विनिर्दिष्ट करें।

16. किसी चोट के लिए इंटर डिजिटल स्थान की जांच करें और उसे विनिर्दिष्ट करें।

17. पैरों के जख्म, तलवों के अत्यधिक घिसाव या सुमशोथ के कोई संकेत हैं।

18. रक्त-वह-तंत्र की जांच करें—

1. नाड़ी स्पन्दन दर को विनिर्दिष्ट करें

2. शोक आधारित अंग या जलोदर की मौजूदगी के लिए जांच करें और उसको विनिर्दिष्ट करें।

19. ----------से----------तक परिवहन किया गया।

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मैंने पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं को पैदल परिवहन) नियम, 2001 पढ़ लिए हैं।

1. कि----------(प्रेषक) के अनुरोध पर मैंने माल यान/रेल के डिब्बों में ऊपर वर्णित पशु की उनके गमन से बारह घंटे से अनधिक पूर्व जांच की है।

2. कि प्रत्येक पशु रेल/सड़क से यात्रा करने के लिए ठीक हालत में प्रतीत होता है और उसमें संक्रामक या सांसर्गिक या परजीवी रोग के कोई लक्षण दर्शित नहीं हो रहे हैं और उसको पशु प्लेग और किसी अन्य संक्रामक या सांसर्गिक या परजीवी रोगों के टीके लगा दिए गए हैं।

3. कि पशु को यात्रा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से भोजन करा दिया है और पानी पिला दिया है।

4. पशु को टीका लगा दिया गया है

(क) टीके की किस्म (ख) टीका लगाने की तारीख

हस्ताक्षर----------

पता----------

अर्हता----------

तारीख----------

दूसरी अनुसूची

प्राधिकरण प्रमाणपत्र

(नियम 8 देखिए)

1. स्वामी का नाम और आयु
2. पिता का नाम
3. स्वामी का पता
4. परिवहन के लिए पशुओं की संख्या, प्रत्येक पशु की जाति, आयु और लिंग को विनिर्दिष्ट करते हुए
5. पशुओं का परिवहन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम
6. परिवहन के लिए ऐसे पशुओं के उद्गम के स्थान और अन्तिम लक्ष्य के स्थान को विनिर्दिष्ट करें
7. नियम 8 के अधीन दिए गए पशु चिकित्सा प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें
8. ऐसे पशुओं के परिवहन के दौरान उपलब्ध कराई गई भोजन, चारे और पानी की व्यवस्थाओं का ब्यौरा।

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मैं पूर्वोक्त वर्णित पशुओं का स्वामी हूं। मैने उक्त पशुओं का परिवहन करने के लिए श्री---------- ----------पुत्र----------निवासी----------को प्राधिकृत किया है। मैंने पशुओं के पैदल परिवहन नियम, 2001 को पढ़ा है और समझ लिया है तथा यह वचन देता हूं कि परिवहन के दौरान उक्त नियमों का पालन किया गया है और किया जाएगा।

मैं एतद्द्वारा यह कथन करता हूं कि ऊपर की सूचना सत्य और सही है।

हस्ताक्षर----------

(स्वामी)

परिवाहक द्वारा भरा जाना चाहिए

मैं----------पुत्र----------निवासी----------एतद्द्वारा पूर्वोक्त वर्णित पशुओं का उद्भव के पूर्वोक्त स्थान से अन्तिम लक्ष्य के स्थान तक परिवहन करने के लिए अपनी सहमति देता हूं।

मैंने पशुओं के पैदल परिवहन नियम, 2001 को पढ़ लिया है और समझ लिया है तथा यह वचन देता हूं कि परिवहन के दौरान उक्त नियमों का पालन किया जाएगा।

मैं एतद्द्वारा यह कथन करता हूं कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है।

हस्ताक्षर----------

(परिवाहक)

[फा० सं० 19/1/2000-ए डब्ल्यू डी]

धर्मेन्द्र देव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2001

S.O. 268 (E).—Whereas the draft **Prevention of Cruelty to Animals (Transport of Animals on Foot) Rules, 2000** were published, as required by sub-section (1) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), under the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment number S.O. 1163 (E) dated the 26th December, 2000 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) dated the 27th December, 2000 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 1st January, 2001;

And, whereas no objection or suggestion has been received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the **Prevention of Cruelty to Animals (Transport of Animals on Foot) Rules, 2001**.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. **Definitions -** In these rules unless the context otherwise requires-

a) "animal" means livestock and includes the following animals, namely-

(i) cattle including cow, bulls and bullocks, buffalo bulls and bullocks, cows, buffaloes, Mithuns, yaks and calves,

(ii) equines including horses, ponies, mules and donkeys,

(iii) horse including entires (stallions), goldings, brood mares, colts and fillies,

(iv) goat including adult goat, male or female of two years age and above,

(v) ruck including male goat;

(vi) kid young goat below one year of age,

(vii) nanny female goat;

(viii) sheep including adult sheep, male or female of two years age and above;

(ix) ewe female sheep;

(x) lamb young sheep below one year of age;

(xi) ram male sheep,

(xii) wether includes male lamb that has been castrated before reaching sexual maturity;

(xiii) pig includes adult pig, male or female of one year of age or above,

(xiv) piglet includes young pig below one year of age.

b) "veterinary doctor" means a person registered with the Veterinary Council of India established under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984)

c) "Schedule" means a schedule appended to these rules.

3. **Application of the rules** - These rules shall apply to transport of animals on foot when the distance from the boundary of village or town or city of the origin of such transport to the last destination is 5 km or more than 5 km

4. **Condition of health of animals transported on foot** - (1) Every animal to be transported on foot shall be healthy and in good condition for such transport

(2) A certificate of a veterinary doctor in respect of each animal to be transported to the effect that such animal is in a fit condition for such transportation and is not suffering from any infectious, contagious or parasitic diseases and that it has been vaccinated against any infectious, contagious or parasitic diseases shall accompany such animal.

(3) The certificate under sub rule (1) shall be in the form as specified in the **First Schedule.**

5. **Certain animals not to transport on foot** - New born animals of which the navel has not completely healed, diseased, blind, emaciated, lame, fatigued, or having given birth during the preceding seventy two hours or likely to give birth during transport shall not be transported on foot.

6. **Transport in on-farm social group** - Animals shall be transported in their on-farm social groups (established at least one week prior to journey).

7. **First aid equipment to accompany animals transported on foot** - The owner of the animals shall provide veterinary first aid equipment to be accompanied with such animals while transported on foot.

8. **Certificate to be carried during transportation-** In case the person transporting the animals on foot is not the owner of the animal then such person shall carry a certificate as specified in the **Second Schedule** during such transportation.

9. **Watering arrangement during transportation of animals** - The owner of the animals shall make watering arrangement in route during transport of such animals on foot.

10. **Feed and fodder arrangements during transportation of animals** - Sufficient feed and fodder with adequate reserve of such feed and fodder for the animals shall be made available by their owner during their transport on foot.

11. Prohibition of the use of whip, etc during transportation of animals on foot - (1) No person shall use a whip or a stick in order to force the animal to walk or to hasten the pace of their walk nor such person shall apply chillies or any other substance to any part of the body of the animal for this purpose during their transportation on foot.

(2) If any animal needs to be tied during transport on foot, it shall be tied by a rope covered with suitable cushioning such as cloth around its leg and such animal shall not be tied by its nose, all legs or any other part of the body except by its neck.

(3) If more than one animal is to be tied adjacent to one another by a single rope during their transport on foot, the space between any two of such animals shall be minimum two feet and animals so tied shall be of similar physical condition and strength and no more than two such animals shall be tied adjacent to each other by a single rope.

12. **Certain prohibition on transport of animals on foot** - (1) No person shall transport on foot an animal before sunrise or after sunset.

(2) No animal shall be transported on foot beyond the distance, time, rest interval and temperature specified for such animal in the Table below, namely:-

TABLE

Species (Animal)	Maximum distance covered/day/hour	Maximum no. of walking/day of hours (travelling)	Period of rest (Interval)	Temperature range Max. Min.
Cattle (Cows)	30 km/day 4 km/hr	8 hours	At every 2 hours for drinking and at every 4 hrs for feeding	12 deg. C. to 30 deg. C.
Buffaloes	25 km/day 3 km/hr	8 hours	At every 2 hours for drinking and at every 4 hrs for feeding	12 deg. C to 30 deg. C
Cows and Buffaloes calves	16 km/day 2.5 km/hr	6 hours	At every 1 ½ hrs for drinking and at every 3 hrs. for feeding	15 deg. C. to 25 deg. C.
Horses, Ponies, Mules, Donkeys	45 km/day 6 km/hr	8 hours	At every 3 hrs. for drinking and at every 6 hrs. for feeding	12 deg. C. to 30 deg. C.
Young ones (foal)	25 km/day 4 km/hr	6 hours	At every 2 hrs. for drinking and at every 4 hrs. for feeding	15 deg. C. to 25 deg. C.
Goats and Sheep	30 km/day 4km/hr	8 hours	At every 2 hrs for drinking and at every 4 hrs. for feeding	12 deg. C. to 30 deg. C.
Kids and Lambs	16 km/day 2.5 km/hr	6 hours	At every 1½ hrs for drinking and at every 3 hrs for feeding	15 deg. C. to 25 deg. C.
Pigs	15 km/day 2 km/hr	8 hours	At every 1½ hrs for drinking and at every 3 hrs. for feeding	12 deg. C. to 25 deg. C.
Piglets	10 km/day 1.5 km/hr	6 hours	At every 1½ hrs for drinking and at every 3 hrs for feeding	15 deg. C. to 25 deg. C.

Note: After being provided with water every animal shall be given a break of 20 minutes before the commencement of the transport of the animal on foot and in case of feeding the `break shall be given for one hour before the commencement of the transport of the animal on foot.

(3) No animal shall be made to walk under conditions of heavy rain, thunderstorms or extremely dry or sultry conditions during its transport on foot.

13. **Transportation of animals in certain cases not permitted without shoes** - Animals whose hooves are not provided with shoes (as in the case of pack or draught animals) shall not be transported on foot on hard cement, bitumen-coated or metalled roads, steep gradients or hilly and rocky terrain, irrespective of weather conditions (summer or winter)

14 **Power of police to require the owner to take animal to nearest Magistrate** - (1) If any police officer above the rank of constable or any other person authorised in this behalf by the Central or State Government or by the Animal Welfare Board of India by the general or special order, has reason to believe that an offence has been or is being committed in respect of an animal in contravention of these rules, he may require the owner or other person in charge of such animal to take the animal to the nearest magistrate.

(2) If the owner or the person in charge of the animals referred to in sub-rule (1) refuses to comply with the demands of the police officer under that sub rule, it shall be lawful for such police officer or such other persons to take the animal to the nearest magistrate.

FIRST SCHEDULE

Form for Certificate of fitness for transport of animals

(see rule 4 (3))

This Certificate should be completed and signed by a qualified Veterinary Doctor

Date and time of examination :

Species

Number of Trucks/Railway Wagons

Number of Cattle

Sex Age

Identification

Breed (giving characteristics) - Area where it is found
with status regarding general resistance and heat tolerance.

Individual Features of the animal-
Body Colour,
Height,
Body weight (approx)
animal length,
breath (measured between pelvic bones),
colour of the eyes,
shape of the horns,
general condition (like fleshy, bony projections)

Health Status

History of the animal, feed status whether or not sign of anorexia/ diarrhea

1. Record Body Temperature

2. Examine eyes for bulging or protrusion of eyeball, blindness, Corneal opacity & specify.

3 Condition of skin,
(including signs of dehydration, injuries,
anorexia (check for presence of warts on the skin)

4. Ears-
Examine ears -(check for animal body response to hearing,
check for any infection, inflammation or secretion
(a) excess of wax, blood or any fluid)

5. Examine sub maxillary spell for swelling
(for any abnormality or pain)

6. Check for status of pregnancy of female animal
If yes – which stage 1st, 2nd or 3rd stage

7. Examine udder & teats & specify
a. Relative size of quarters.
b. Check for signs of swelling/atrophy/ fibrous
c. in duration on palpation of individual quarter and specify.
d. Check teat canal for teat tumour or fibrosis of teat canal and specify.

8. a) If female - check
Check for sign of vaginal discharge on
examination of the vulva and specify
b) In male - check
Testicles- Size, any sign/abnormalities for monogastric animals.
Penis- injury, abrasions or the sheath, discharges to be recorded

9. Sign of abdominal pain (check for gait or posture of the animal,
check for signs of abdominal distention,
left flank to be checked for rumen examination (full, empty)
tympani/blood

10. Digestive System

Examine mouth and specify
1 Detail out dentition
2 Specify - evidences of
- tooth damage
- broken or worn incisors.

11. Respiratory system

a. Record Respiration rate -
b. Auscultation & specify for signs
of dyspnoea, respiratory distress & specify

12. In cows possessing horns
check and specify
a) shape of horns
b) number of horn rings

c) any difference in the direction
d) or appearance of two horns

13. Examine ribs for fracture and specify

14. Examine abdominal wall for presence of ventral or umbilical hernia and specify.

15. Examine limbs and joints for bony enlargements or synovial distentions & specify check fro signs of lameness – specify

16. Examine interdigital space for any lesions check and specify

17. Any indications of foot soreness, excessive wear of soles or laminitis

18. Examine circulatory system

1. Specify Pulse rate
2. Check for presence of oedema dependent portion or ascitis and specify.

19. Transported from _____ to _____ via

I hereby certify that I have read the Prevention of Cruelty to Animals (Transport of Animals on Foot) Rules, 2001.

1. That, at the request of (consignor) _____ I examined the above mentioned Cattle in the goods vehicle/railway wagons not more than 12 hours before their departure.

2. That each cattle appeared to be in a fit condition to travel by rail/road and is not showing any signs of infectious or contagious or parasitic disease and that it has been vaccinated against rinderpest and any other infections or contagious or parasitic disease(s).

3. That the cattle were adequately fed and watered for the purpose of the journey

4. That the cattle have been vaccinated
(a) Type of vaccine: (b) Date of vaccination:

Signed _____
Address _____

Date _____

Qualification _____

SECOND SCHEDULE

Authorisation Certificate

(see rule 8)

1. Name and age of the owner

2. Father's Name :

3. Address of the Owner :

4. No. of animals for transport specifying species, age and sex of each animal .

5. Name of the person/ persons transporting the animals :

6. Specify the place of origin and the place of last destination of such animals for transport:

7. Attach a copy of the veterinary certificate granted under Rule 8 :

8. Details of feed, fodder and watering arrangements provided during transport of such animals.

I do hereby declare that I am the owner of the aforementioned animals. I have authorized Shri _____ S/o _____ r/o _____ to transport the said animals I have read and understood the Transport of Animals on Foot Rules, 2001 and undertake that the said Rules have been and would be complied with during transport

I do hereby state that the above information is true and correct.

Sd/-
(Owner)

To be signed by the Transporter

I _____ S/o _____ r/o _____ do hereby give my consent to transport the aforementioned animals from the aforesaid place of origin to the place of destination

I have read and understood the Transport of Animals on Foot Rules, 2001 and undertake that the said Rules would be complied with during transport

I do hereby state that the above information is true and correct.

Sd/-
(Transporter)

[F. No. 19/1/2000-AWD]

DHARMENDRA DEO, Jt. Secy.